संख्या-53/2022/401रासनि/23-1-21-09रासनि/21

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 23 मार्गों के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न जनपदों के 23 मार्गों के कार्य हेतु कुल लागत रू0 57,45,80,000/- (रूपये सत्तावन करोड़ पैतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक 5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 5,74,46,000/- (रूपये पांच करोड़ चौहत्तर लाख छियालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यो को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक- "1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

E:\w-5054N 21-22

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त
न हो।

(10) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-0024-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य' में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव ।

E:\w-5054N 21-22

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-53/2021/401रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. नोडल अधिकारी (ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

E:\w-5054N 21-22

शासनादेश सं0–53/2022/401रासनि/23–1–21–09रासनि/21, दिनांक 08.01.2022 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र	मुख्य अभियंता (मु0–1), लो0नि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	3601/(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 29.12.2020	गोण्डा	ग्राम पंचायत सिरसा मनकापुर पक्की सड़क से बाबापुरवा (हरिजनपुरवा), कुर्मियन होते हुए कुर्मी पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.20	154.57	15.45
2	3601/(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 29.12.2020	गोण्डा	चंदापुर गडौव्वा काली जी के स्थान से होकर सीरपुरवा के बगल से बेचईपुरवा गांव होकर कालीकुण्डा स्कूल सड़क से सधईपुरवा गांव के बगल से हंसापुरवा गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.800	202.19	20.21
3	3601/(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 29.12.2020	गोण्डा	कौकटवा होते हुए जुझारीपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.500	264.02	26.40
4	3601/(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 29.12.2020	गोण्डा	गोण्डा बेलसर मार्ग से बुढ़वा होते हुए माधवपुर के बीच छूटी कड़ी का निर्माण कार्य।	2.000	142.39	14.23
5	1458/(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 01.03.2021	गोण्डा	जफरापुर मार्ग से राजकीय पालीटेक्निक आदमपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.500	118.58	11.85
6	1458/(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 01.03.2021	गोण्डा	मुंजेड़ सम्पर्क मार्ग से मुरावनपुरवा, बेहरारी, टेपरा, बैजनाथपुरवा होते हुए बम्बूपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.750	208.83	20.88
7	1458/(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 01.03.2021	गोण्डा	प्रधानमंत्री सड़क से प्राइमरी पाठशाला महराजगंज से तेलियनपुरवा, गोड़ियनपुरवा, गौचरी होते हुए धोबियनपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.300	253.19	25.31
8	1458/(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 01.03.2021	गोण्डा	नगदही सम्पर्क मार्ग से शुकुलनपुरवा, सिंहपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	196.15	19.61
9	5354/(54–सी)/ समग्र वृत्त/2021–22, दिनांक 15.12.2021	बलिया	टी0एस0 बंधा से लमुही छपरा सारिव तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.500	152.62	15.26
10	5354/(54–सी)/ समग्र वृत्त/2021–22, दिनांक 15.12.2021	बलिया	रेवती झरकटहा पीच मार्ग से रतिछपरा जमघरवा प्रा0 स्कूल तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	2.50	156.11	15.61
11	5354/(54–सी)/ समग्र वृत्त/2021–22, दिनांक 15.12.2021	बलिया	झरकटहा भाखर पीच मार्ग से कल्याणपुर होते हुये भैंसहा भरटोला जूनियर हाईस्कूल तक मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	186.22	18.62
12	5642/54–7/समग्र वृत्त/ 2021–22, दि0 27.12.2021	गोण्डा	इटियाथोक खरगूपुर से स्वामी सर्वदानन्द विद्यालय से बिदुली होते हुए बिन्देश्वर महादेव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	5.80	463.46	46.34
13	5642/54–7/समग्र वृत्त/ 2021–22, दि0 27.12.2021	गोण्डा	आर्यनगर खरगूपुर मार्ग से पुरैनिया, पासीपुरवा, नौब्वागांव चर्तुभुजीनाथ मन्दिर होते हुए कसमिरवा तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	2.60	198.59	19.85
14	5642/(54–7)/ समग्र वृत्त/2021–22 दिनांक 27.12.2021	गोण्डा	ग्राम पंचायत पिपरी रोहुआ में गढी से रोहुआ काली स्थान जूनियर हाई स्कूल महाशिव शक्ति मंदिर होते हुए लोनियनपुरवा बैकुण्ठधाम धार्मिक स्थल शिवाला तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	4.80	335.02	33.50
15	5642/(54–7)/ समग्र वृत्त/2021–22 दिनांक 27.12.2021	गोण्डा	ग्राम पंचायत अकबरपुर में पी0डब्लू0डी0 सडक से गोदाम लाला गडरियरपुरवा, पोखरा, लक्षमनदा बाबा स्थान होते हुए धार्मिक स्थल साईं मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	4.50	338.78	33.87
16	5642/(54–7)/ समग्र वृत्त/2021–22 दिनांक 27.12.2021	गोण्डा	नौबस्ता मार्ग से डललापुर मार्ग होकर धार्मिक स्थल महडा सम्मय मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	3.00	236.00	23.60
17	2098(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 23.03.2021	गोण्डा	अर्जुनपुर सरकाण्ड प्रा0 वि0 हिंदूनगर खास होते हुयेविजयगढ़वा करिमनगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	4.20	323.23	32.32
18	2098(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 23.03.2021	गोण्डा	रानीजोत नहर से भसपुरवा डेबरी गोसाईपुरवा बैराठपुर मुरवानपुरवा होते हुये राजापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	390.86	39.08
19	2098(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 23.03.2021	गोण्डा	खरगूपुर मार्ग से ललकपुरवा, पटखौली होते हुये भाटपुरवा, भूलईपुरवा पटखौली खास सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.80	281.75	28.17
20	2098(47–VI)/समग्र वृत्त/2020–21, दि0 23.03.2021	गोण्डा	मूर्तिहा चौराहा से नहेश भारी खास बड़ईपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	245.09	24.50
21	4840(47–VII)/समग्र वृत्त/2021–22, दि0 17.11.2021	गोण्डा	राघव बस्ती से खरईभरी सम्पर्क मार्ग	4.00	322.48	32.24
22	7104(1)सी/367सी/मऊ/भाग–16/21–22, दिनांक 07.01.2021	मऊ	बड़ागांव खानपुर पट्टी से पलिगढ़ हाल्ट मार्ग का मरम्मत एवं सुधार कार्य	1.70	86.13	8.61
23	7104(1)सी/367सी/मऊ/भाग–16/21–22, दिनांक 07.01.2021	मऊ	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–29 से पकड़ी बुजुर्ग मार्ग का मरम्मत एवं सुधार कार्य	6.40	489.54	48.95
			योग		5745.80	574.46

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

E:\w-5054N 21-22

http://shasanadesh.up.nic.in